

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 18/11/2020

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 495.889 लाख (रूपये चार करोड़ पंचानबे लाख अड्डासी हजार नौ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :— प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या— 63 / 12.02.2019; (Online स्वीकृत्यादेश सं. 2097, दिनांक 12.02.2019)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101—सतही जल/ 19— नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05—निर्माण / 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200101190545	495.889
आवंटित राशि — रूपये चार करोड़ पंचानबे लाख अड्डासी हजार नौ सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2380.00 लाख (तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना—सह—विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक—2018, दिनांक—04.11.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 50% की राशि के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747 /वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/संचालन अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समस्य उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षनार्ता हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्टंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 113

रॉची, दिनांक :— 18/11/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/हजारीबाग/रामगढ़/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 113

रॉची, दिनांक :— 18/11/2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग / संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशासा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
 लघु शीर्ष-101-सतही जल,
 उप शीर्ष-19-नदै लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
 विस्तृत शीर्ष-05-नियोगा

बजट उपर्युक्त (2020-21) - रुपये 2380.00 लाख (रुपये तेइस करोड़ अस्ती लाख) मात्र

विभव कोड- 50S470200101190545

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			वर्ष 2020-21 में (लाख रुपये रु)	योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अनुग्रहित		
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकरारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	लघु सिंचाई प्रमाणदंत, हजारीबाग (HZBMMR001)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	कन्दवा तरी नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	35.388	2097 dt. 12.02.2019	30.579	0.000	0.000	27.001	27.001	27.001	
3	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	जमुनिया नाला पर चेकडैम निर्माण	51.107	44.194	0.000	0.000	12.116	12.116	12.116	12.116	12.116	
4	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	नागी नाला पर शूं चेकडैम निर्माण	134.358	117.414	0.000	0.000	76.934	76.934	76.934	76.934	76.934	
5	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	अंगो नाला पर चेकडैम निर्माण	59.959	45.606	0.000	0.000	33.411	33.411	33.411	33.411	33.411	
6	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	तुआ नाला पर चेकडैम निर्माण	58.624	48.272	0.000	0.000	22.691	22.691	22.691	22.691	22.691	
7	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	कुवरी नदी पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	44.512	37.164	0.000	0.000	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038
8	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	कुवरी नदी पर चेकडैम निर्माण	66.754	52.660	0.000	0.000	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
9	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	माण्डु अग्नियागढ़ा नाला पर चेकडैम निर्माण	57.741	47.276	0.000	0.000	19.086	19.086	19.086	19.086	19.086	
10	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	खटगढ़ा नाला पर शूं चेकडैम निर्माण	235.299	207.229	0.000	0.000	111.970	111.970	111.970	111.970	111.970	
11	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	सरना गढ़ा नाला पर चेकडैम निर्माण	179.508	153.346	0.000	0.000	53.420	53.420	53.420	53.420	53.420	
12	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	पतरातु शियारमुखी नाला पर चेकडैम निर्माण	85.646	42.094	0.000	0.000	15.278	15.278	15.278	15.278	15.278	
13	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग	योग :-	लघु सिंचाई वर्षी हजारीबाग (मालम सोकरा) नदी पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	1.021.377	870.434	0.000	0.000	448.561	448.561	448.561	448.561	448.561
					61.935	2097 dt. 12.02.2019	53.027	0.000	20.327	20.327	20.327	20.327	20.327
					61.935	53.027	0.000	0.000	20.327	20.327	20.327	20.327	20.327
					1.118.700	954.040	0.000	0.000	495.889	495.889	495.889	495.889	495.889

(एजेन्ट प्रसाद)
उप सचिव (आमो)

(अधिकारी कुमार दास)
संयुक्त सचिव (आमो)

(प्रशासन कुमार)
सचिव

113